माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल

मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

☎ : कार्या:– (0755) 2551650, 2761567
निवास:– (0755) 2553377
फैक्स – (0755) 2551499
क्रमांक – 4004 /प.स./09
दिनांक – 15 / 06 /2009

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी
आई.ए.एस.
सचिव

विषय :–नियमित छात्रों के लिये प्रवेश नीति निर्देश अकादमिक सत्र 2009–10

प्रिय प्राचार्य / प्राचार्या,

शैक्षणिक सत्र 2009–2010 का शुभारम्भ 01 अप्रैल 2009 से किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल की ओर से आपको नये सत्र की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

2. इस शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्रों के प्रवेश के संबंध में निम्नानुसार नीति–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

(A) प्रवेश की अंतिम तिथि– कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2009 होगी। नियमित प्रवेश की समस्त औपचारिकताएँ नियत दिनांक तक सुनिश्चित कर ली जाएँ।

(B) अर्हकारी परीक्षा– (i) किसी भी छात्र को 9वीं,10वीं,11वीं अथवा 12वीं की कक्षा में प्रवेश लेना है, तो उसे यथास्थिति क्रमशः 8वीं, 9वीं, 10वीं अथवा 11वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(ii) वर्ष–2009 में कक्षा 9वीं,10वीं,11वीं एवं 12वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्र भी उसी कक्षा में नियमित प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

(C) पूरक प्राप्त छात्र– किसी छात्र को वर्ष –2009 में पूरक परीक्षा देनी हो, अथवा किसी कारण से मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ हो तो, उसे अगली कक्षा में प्रावधिक **(Provisional)** प्रवेश की पात्रता रहेगी। पूरक परीक्षा अनुत्तीर्ण होने पर पुनः पिछली कक्षा में प्रवेश स्थानांतरित किया जा सकता है।

(D) अध्ययन अंतराल (gap) की सीमा – (i) कक्षा 8वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण छात्र क्रमशः कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ड्राप आउट छात्रों के प्रवेश के लिये अध्ययन अंतराल **(gap)** 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी छात्र ने 8वीं अथवा 10वीं की परीक्षा वर्ष–2006 में

उत्तीर्ण की है, तो उसे कक्षा 9वीं अथवा 11वीं में यथास्थिति नियमित प्रवेश सत्र 2009–2010 में लेने की पात्रता होगी।

(ii) लगातार दो वर्ष एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को, किसी कक्षा में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को कक्षा 9वीं एवं 10वीं के मध्य, तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के मध्य, एक वर्ष का अध्ययन अंतराल (gap) मान्य होगा। एक वर्ष से अधिक अंतराल की स्थिति में छात्र को नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(E) 10वीं एवं 12वीं में सीधे प्रवेश– कक्षा 10वीं तथा कक्षा 12वीं में प्रवेश केवल उन्हीं छात्रों को दिया जा सकेगा जो वर्ष 2009 में क्रमशः 9वीं तथा 11वीं उत्तीर्ण हों, अथवा वर्ष 2009 की परीक्षा में क्रमशः 10वीं /12वीं प्रथम बार अनुत्तीर्ण हो/अन्य समकक्षता प्राप्त बोर्ड से स्थानांतरण के कारण ऐसे छात्र जो क्रमशः 9वीं तथा 11वीं की परीक्षा वर्ष 2009 में उत्तीर्ण हों, अथवा ऐसे समकक्षता प्राप्त बोर्ड से वर्ष 2009 की परीक्षा में क्रमशः 10वीं अथवा 12वीं प्रथम बार अनुत्तीर्ण हो, यथास्थिति 10वीं अथवा 12वीं में प्रवेश ले सकेंगे।

(F) श्रेणी सुधार– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वर्ष 2009 की 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को ही यथास्थिति 10वीं अथवा 12वीं में श्रेणी सुधार हेतु नियमित प्रवेश की पात्रता रहेगी। **अन्य राज्यों के छात्रों को श्रेणी सुधार की पात्रता नहीं होगी।**

(G) विषय/माध्यम परिवर्तन कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में विषय का चयन प्रचलित पाठ्यक्रमानुसार होना आवश्यक है। एक बार चयन किया गया विषय/माध्यम जो परीक्षा फार्म एवं डाटा शीट में भरा गया है उसमें उसके पश्चात परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(H) नियमित छात्रों की कम उपस्थिति मण्डल की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये छात्र की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर अतिरिक्त कक्षायें लगाकर उपस्थिति पूर्ण की जाए। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र को स्वाध्यायी में परिवर्तित किया जायेगा।

(I) स्थानांतरण प्रकरण– किसी पालक का स्थानांतरण, शैक्षणिक सत्र के बीच में हो जाता है, तो उसके स्थानांतरण आदेश के आधार पर छात्र को संस्था में उस स्थिति में प्रवेश दिया जा सकेगा, जब उस छात्र द्वारा 31 जुलाई, 2009 तक नियमित छात्र के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो। **इन प्रकरणों में संस्था परिवर्तन की अनुमति** 30 नवम्बर, 2009 **तक दी जा सकेगी।**

(J) अन्य राज्यों/बोर्डो के छात्रों का म.प्र. के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश

(i) अन्य राज्यों के बोर्ड एवं मध्यप्रदेश के अन्य बोर्डो के छात्र मा.शि.मं. म.प्र. की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं अथवा 12वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उन्हें 31 जुलाई, 2009 तक अस्थाई प्रवेश देकर उनसे निम्न दस्तावेज प्राप्त किए जावे अर्थात्:–

1 अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची
2. नामांकन संबंधी आवेदन निर्धारित प्रारूप में
3 ट्रांसफर सर्टीफिकेट
4 अन्य बोर्ड का माइग्रेशन प्रमाण–पत्र

उक्त दस्तावेजों के साथ ग्राहयता शुल्क तथा नामांकन शुल्क की रसीद (निर्धारित चालान) संलग्न कर ग्राहयता हेतु संबंधित संभागीय अधिकारी मा.शि.मण्डल को 18 अगस्त 2009 तक किए जा सकेंगे। संभागीय अधिकारी 30.9.2009 तक नामांकन तथा ग्राहयता के संबंध में निर्णय लेकर दस्तावेज संस्थाओं को वापस करेंगे। ग्राहयता एवं कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं अथवा 12वीं के नांमाकन की कार्यवाही संभागीय अधिकारी परीक्षा फार्म भरने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे। ग्राहयता का फार्म <u>परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।</u>

(ii) जो छात्र अन्य राज्यों के बोर्डो एवं मध्यप्रदेश के अन्य बोर्डो से निर्धारित प्रवेश तिथि 31 जुलाई, 2009 के उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें उसी सत्र में मण्डल की आगामी कक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। उदाहरण के लिये मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल की जून 2009 की परीक्षा के उत्तीर्ण छात्र 2009–10 की आगामी कक्षा में प्रवेश ले सकेंगें, किन्तु दिसम्बर 2009 की परीक्षा के उत्तीर्ण छात्रों को इसी सत्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(K) नामांकन शुल्क–

मण्डल की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र का नामांकन होना आवश्यक है। ऐसे छात्रों, जिनका नामांकन मण्डल में कराया जाना है, के लिये नामांकन आवेदन पत्र एम.पी. ऑन लाईन के माध्यम से रूपये 80/– नामांकन शुल्क जमा करके प्रस्तुत किये जा सकेगें। कक्षा 10वीं तथा 12वीं के छात्रों के लिये परीक्षा फार्म भरने के पूर्व नामांकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(L) परीक्षा फार्म शुल्क

(i) कक्षा 10वीं एवं 12वीं के नियमित छात्रों के लिए परीक्षा फार्म एम.पी. ऑन लाईन के सेवा केन्द्रों के माध्यम ऑन लाईन भरे जावेगें। अतः परीक्षा फार्म के लिए पूर्व में लिया जाने वाले स्टेशनरी व्यय रू 30/– इस वर्ष देय नहीं होगा।

(ii) मण्डल द्वारा सत्र 2009–2010 हेतु निर्धारित शुल्क की जानकारी परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। मण्डल को भुगतान करने योग्य शुल्क मण्डल द्वारा निर्धारित चालान के माध्यम से बैंक की चिंहित शाखाओं में जमा किया जाना चाहिए। जिन मामलों में आवेदन एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से प्राप्त किए जावेगें, उनके लिए शुल्क का भुगतान एम.पी.ऑन लाईन के सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जावेगा। इसके संबंध में एम.पी.ऑन लाईन के सेवा केन्द्र से प्राप्त भुगतान रसीद मण्डल द्वारा मान्य की जावेगी।

15/6/09

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक /4005/परीक्षा समन्वय/08 — भोपाल, दिनांकः 15 .06.2009

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति/अनुसूचित जाति, कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
2. कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल
4. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र., भोपाल
7. समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
9. संयुक्त संचालक, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
10. सहायक आयुक्त ,समस्त आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
12. आंचलिक अधिकारी/समस्त, संभागीय अधिकारी/समस्त सहायक सचिव/क0अ0 परीक्षा संभाग।
13. पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधिकारी/विधि अधिकारी /सी.एस.ओ. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
14. निजी सहायक अध्यक्ष/सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव मा0शि0म0 मध्यप्रदेश कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. प्राचार्य, समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाऐं मध्यप्रदेश।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश,
भोपाल

मण्डल विनियम 122 के अनुसार ग्राह्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	आवेदक का नाम				
2.	पिता का नाम				
3.	आवेदक का वर्तमान पता				
4.	जन्म तिथि				
5	आवेदक के पालक का नाम तथा आवेदक का उससे संबंध				
6	अर्हकारी परीक्षा का विवरण				
	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण कक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	
				1.	
				2.	
				3.	
				4.	
				5.	
				6.	
7	संस्था का नाम एवं कोड कमांक जिसमें प्रवेश चाहते हैं।				
	संस्था का नाम		संस्था कोड		

दिनांक ..../........../.............. परीक्षार्थी के हस्ताक्षर ....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं। छात्र को इस शाला में सत्र .... में कक्षा .... में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया गया है। ग्राह्यता प्रदान करने हेतु समस्त मूल दस्तावेज संलग्न करते हुये ग्राहयता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती हैं।

शाला का कोड ....

हस्ताक्षर प्राचार्य
पद मुद्रा

परिशिष्ट–2

शिक्षण सत्र 2009–2010 के लिए निर्धारित शुल्क

स. क्र.	विवरण	प्रकार	निर्धारित शुल्क रूपये
1	परीक्षा शुल्क	नियमित स्वाध्यायी (संपूर्ण विषय) स्वाध्यायी छात्र (एक विषय)	250/– 500/– 70/–
2	अंकसूची शुल्क		40/–
3	प्रायोगिक शुल्क	प्रति विषय	30/–
4	नामांकन शुल्क		80/–
5	ऑन लाईन शुल्क	नियमित/स्वाध्यायी	15/–
6	अनुमति शुल्क	नवीन स्वाध्यायी छात्रों हेतु	100/–
7	ग्राह्यता शुल्क	अन्य बोर्डो से आये नियमित छात्रों हेतु	200/–
8	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन शुल्क		100/–
9	विषय/माध्यम/संकाय परिवर्तन शुल्क	प्रत्येक विषय के लिये	100/–
10	प्रवेश पत्र शुल्क	डुप्लीकेट	50/–
11	नामांकन प्रमाण पत्र	डुप्लीकेट	50/–

नोटः– स.क्र. 05 में अंकित शुल्क एम.पी.ऑन लाईन संचालक अपने पास रखेगें।

15/6/10

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश
भोपाल

D:\BSK\samanbay-89\pravesh\pravesh910.doc – 001